न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 23/19–20

गंगाराम मरांडी बनाम् रैयान मौजा–छोटा श्रीपुर

–: आदेश :–

01-2-2020

वर्तमान प्रक्रिया अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–477/रा0, दिनांक–28.08.2019 के आधार पर आवेदक गंगाराम मरांडी, पे0–स्व0 किशुन मरांडी, सा0–छोटा श्रीपुर, थाना–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा ने मौजा–छोटा श्रीपुर नं0–45 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के प्रतिवेदन के साथ संलग्न राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि पूर्व प्रधान मरांगमय हांसदा, पति–स्व0 रामजी मरंडी थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आवेदक खतियानी रैयत प्रधान का परपोता है तथा अंतिम प्रधान मरांगमय हांसदा का चचेरा देवर है। दिनांक–04.08.2019 को ग्रामसभा कर आवेदक गंगाराम मरांडी को ग्राम प्रधान नियुक्ति में सभी रैयतों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है तथा किसी भी रैयत के द्वारा लिखित आपत्ति दर्ज नहीं की गई है।

मौजा के रैयतों को प्रधान नियुक्ति आवेदन पर आपत्ति देने हेतु इस न्यायालय के डी0बी0 नं0–123/रा0, दिनांक–21.01.2020 द्वारा नोटिस तामिला हेतु भेजा गया। किसी भी व्यक्ति या प्रधिकार द्वारा उक्त नियुक्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक मौजा के 16आना रैयतों को सामान्यतः स्वीकार है तथा उनके विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियम, 1950 के तहत् वर्णित किसी भी प्रकार की अयोग्यता से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियम, 1950 के अनुसूची–V की उपधारा–3 के अनुसार The office of Headman being hereditary, the next heir, who is fitted, should be headman के आलोक में आवेदक के आवेदन के विरूद्ध मौजा के 16आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक गंगाराम मरांडी, पे0–स्व0 किशुन मरांडी को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मौजा–छोटा श्रीपुर नं0–45 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित।

01.2.2020

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

01.2.2020

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

F/Order.